पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज.)

टेलीफोन नं- 01572–232500 / 232501
वेबसाईट : www.shekhauni.ac.in ई–मेल : registrar@shekhauni.ac.in

ई–निविदा दस्तावेज

कवर पेज ओ.एम.आर शीट के साथ मुद्रित उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति

बोली जमा कराने की विधि	ऑन लाइन (ई–निविदा)
क्रय कर्ता	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर – 332001
तकनीकी बोली को ऑन लाइन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय	14/07/2026 सायं 05.00 बजे
ऑन लाइन तकनीकी बोली खोलने की तिथि और समय	15.07.2026 सायं 04.00 बजे

- ई–निविदा दस्तावेज की फीस रूपये 3000/– जो कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को देय है।
- ई–निविदा प्रसंस्करण फीस की लागत रूपये 500/– एम.डी., आर.आई.एस.एल., जयपुर के पक्ष में को देय होगी।
- MSME निविदादाता फर्मो कों नियमानुसार छूट देय होगी।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर
नाम व मुहर के साथ

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज.)

टेलीफोन नं- 01572—232500 / 232501

वेबसाईट : www.shekhauni.ac.in ई—मेल : registrar@shekhauni.ac.in

क्रमांक– 13779

दिनांक:– 04/07/2026

ई–निविदा सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026—27 हेतु निम्नलिखित कार्यों हेतु मोहरबन्द निविदाएं कार्य के सामने अंकित दिनांक तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 04/07/2026 से Download कर सकेंगे तथा मोहरबन्द निविदाए दिनांक 14/07/2026 सायं 05.00 बजे तक ऑन लाईन प्रस्तुत कर सकेंगे जो उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष दिनांक 15 / 07 / 2026 सायं 04.00 बजे खोली जावेगी। सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी। निविदा की अन्य शर्ते कार्यालय दिवसों में, ज्ञात की जा सकती हैं। अधिक जानकारी **E-PROC Portal** एवम् विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर देखी जा सकती है।

क्र. सं.	स्पेशिफिकेशन	अनुमानित मूल्य लाखों में	धरोहर राशि लाखों में	खोलने की तिथी
1	**प्रायोगिक परीक्षा हेतु उत्तरपुस्तिकाएं –** कुल पृष्ठ 16, उपर का पृष्ठ नमुने के अनुसार प्रिन्टेड, सभी पेपर 58 GSM के, ए–ग्रेड पेपर, मुख्य पृष्ठ पर नम्बरिंग,सिलाई युक्त, मात्रा 7,00,000/–, साइज 8.50" x 10.50" with security features.	42 Lakhs	84,000	15.07.2026

<u>नोट</u> :–**1.** निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार बिना किसी कारण बताये कुलसचिव में निहित रहेगा। **2.** निविदा प्राप्त अथवा खुलने की दिनांक को अवकाश होने पर अगला दिन कार्य दिवस माना जायेगा। **3.** धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक के रूप में कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को देय हो तो ही स्वीकार होगा। **4.** तार, मेल या फैक्स द्वारा निविदाएं मान्य नहीं होगी।

कुलसचिव
पंडित दीनदयाल उपाध्याय
शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर
नाम व मुहर के साथ

योग्यता की शर्ते

कृपया सुनिश्चित करें कि सभी प्रश्नों का उतर स्पष्ट दिया है। यदि आपने अपनी प्रतिक्रिया में अतिरिक्त प्रपत्र प्रस्तुत किया है, तो यह सुनिश्चित करें कि वे प्रासंगिक प्रश्न का स्पष्ट सन्दर्भ दिया है ।

1. कम्पनी/फर्म का सामान्य प्रोफाईल –

1. कम्पनी/फर्म का नाम एवं पता	
फोन नं.	
फेक्स	
ई–मेल	
वेब साइट	
2. निगमन की तारीख	
3. प्रधान कार्यालय	
4. टर्न ऑवर अंतिम तीन वर्ष का (अंकेक्षित वार्षिक खाते और वार्षिक रिपोर्ट) तीन वर्षों के लेखे प्रस्तुत किये जाने है। पिछले तीन वर्षों में औसत रूपये 01.00 करोड़ का टर्न ऑवर होना चाहिए।	2023–2024 2024–2025 2025–2026
5. कार्यकारी प्रोफाईल	
6. सेवा कर पंजीकरण संख्या (प्रमाणित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।)	
7. जीएसटी रजिस्ट्रेशन संख्या (प्रमाणित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।)	
8. पेन नं. (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
9. उपलब्ध परिसर/जगह (वर्ग फीट में)	
10. प्रति माह उत्तर पुस्तिका निर्माण क्षमता	
11. ई. एम. डी. का ब्यौरा	
12. अनुभव	

2. उत्तर पुस्तिकाओं के मुद्रण का अनुभव विवरण (अंतिम तीन वर्ष का) पिछले तीन वर्षों में औसत रूपये 01.00 करोड़ का टर्न ऑवर होना चाहिए जो UDIN CA द्वारा प्रमाणित हो।

वर्ष	क्र. सं.	Client का नाम पता फोन नं. के साथ	संलग्न आपूर्ति आदेश के प्रेषण नं. व दिनांक का उल्लेख करें	कार्य की प्रकृति	अनुबन्ध का कुल मूल्य
	1				

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर
नाम व मुहर के साथ

2023–24	2				
	3				
	4				
2024–25	1				
	2				
	3				
	4				
2025–26	1				
	2				
	3				
	4				

(विभिन्न परियोजनाओं के लिए अलग पन्नें लिए जा सकते हैं)

3. गुणवत्ता प्रमाण–पत्र यदि कोई हो –

क्र. सं.	प्रमाण–पत्र का नाम	किसके द्वारा प्रमाणित है	प्रमाण–पत्र प्राप्ति वर्ष	प्रमाण–पत्र की वैद्यता तिथि
1				
2				
3				
4				

4. उत्पादों / सेवाओं के लिए पुरस्कार, यदि कोइ हो –

क्र. सं.	प्रमाण–पत्र का नाम	किसके द्वारा प्रमाणित है	प्रमाण–पत्र प्राप्ति वर्ष	पुरस्कार का क्षेत्र (एस / डब्ल्यू विकास परामर्श आदि)
1				
2				
3				
4				

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर
नाम व मुहर के साथ

तकनीकी बोली

तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्नलिखित दस्तावेजों की द्वितीय प्रति रखनी होगी। निविदा खोलने के समय प्रतियों के सत्यापन के लिए मूल प्रतियां मांगी जा सकती हैं। अतः निविदादाता मूल प्रतियां तैयार रखें।

(अ) <u>तकनीकी निविदा में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज</u>–

(i) धरोहर राशि की डी.डी., निविदा प्रपत्र के शुल्क का डी.डी., और धरोहर राशि में छूट प्राप्त हो तो उससे संबंधित दस्तावेजों की फोटो प्रतियां जो नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित हो।

(ii) निविदा फार्म और अन्डरटेंकिंग

A. हस्ताक्षरित व पूर्ण रूप से भरा हुआ निविदा प्रपत्र
B. किसी भी विश्वविद्यालय में ब्लैक लिस्ट नहीं होने का शपथ पत्र (नोटेरी से प्रमाणित)
C. निविदा दाता का पूर्ण विवरण (कार्यालय व फैक्ट्री का पता)

(iii) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र

A. जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
B. पैन कार्ड की प्रति
C. ISO14298:2021 For Advancad Security Certificate for Printing Answerbook (Optional).
D. ISO 9001:2015 is must.
E. फर्म के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति (जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, पार्टनरशिप डील अथवा प्रोपराईटरशिप होने का प्रमाण–पत्र)

(iv) अनुभव

A. उत्तर पुस्तिकाओं का मैन्यूफैक्चरिंग, सरकारी विश्वविद्यालय में पॉच वर्षों तक, किये जाने का प्रमाण पत्र के साथ, कार्यादेश की प्रति अथवा कार्य संपादन प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करें।
B. उत्तर पुस्तिकाओं की विगत तीन वर्षों में आपूर्ति हेतु तीन एकल कार्यादेशों की प्रति, प्रत्येक आदेश का मूल्य 30 लाख या उससे अधिक हो एवं सफलतापूर्वक आपूर्ति की हो, का प्रमाण–पत्र

N

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर
नाम व मुहर के साथ

(v) वित्तीय स्थिति एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर

A. UDIN नंबर धारी चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिस में उल्लेख हो कि निविदादाता का पिछले तीन वर्षों का औसत टर्न ओवर रूपये 01 करोड़ से अधिक का हो ।

B. विगत तीन वर्षों की ऑडिटेड बैलेन्स शीट व लाभ–हानि खाते की प्रति।

(vi) कागज के सेम्पल व संबंधित दस्तावेज

A. 58 जीएसएम के कागज की पांच शीट जिसमें 80 प्रतिशत ब्राईटनेस हो व निविदा के साथ संलग्न करें तथा पेपर मील का नाम भी लिखें। जिसकी जॉच MSME द्वारा करवायी जाने के पश्चात अन्तिम 10% का भुगतान किया जावेगा।

N

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर
नाम व मुहर के साथ

वित्तीय बोली

उत्तर पुस्तिकाओं के मुद्रण व आपूर्ति हेतु निविदा

1. फर्म का नाम ....
2. फर्म का पता ....
3. सम्पर्क हेतु फोन नम्बर..
4. ई–मेल आई.डी. ....

क्र.	कार्य का विवरण	सिक्योरिटी फिचर	साईज	फर्म द्वारा प्रस्तुत दर (टैक्स के अतिरिक्त) प्रति हजार		कर की दर (Gst)	कुल लागत (दर)
				अंको में	शब्दों में		
1-	**उत्तर पुस्तिकाएं :–** **प्रायोगिक परीक्षा हेतु उत्तर पुस्तिकाएं :–** कुल पृष्ठ 16, उपर का पृष्ठ नमुने के अनुसार प्रिन्टेड, सभी पेपर 58 GSM के, ए–ग्रेड पेपर, मुख्य पृष्ठ पर नम्बरिंग, सिलाई युक्त, साईज 8.5''X10.5'' मात्रा 7,00,000/–,	आन्तरिक पेजों में विश्वविद्यालय का लॉगो व माइक्रो लेटर व पेज नम्बरिंग	साईज 8.5'' X10.5''				

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर
नाम व मुहर के साथ

- मात्रा में परिवर्तन सम्भव है
- पेपर मिल का नाम लिखना होगा। पेपर वर्जिन पल्प का होना चाहिए। इसका वैध प्रमाण पत्र जारी किया हुआ होना चाहिए। इस के अभाव में टेण्डर निरस्त किया जायेगा।

दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर
व मोहर

नोटः–

दर भारतीय रूपये में अंकित की जाए। दरों में कोई बढोतरी की अनुमति नहीं होगी। हर कॉलम को भरें, खाली नहीं छोड़े। दरों को अंको व शब्दों में अंकित करें। दरें एफ.ओ.आर. अंकित करें। दर में सभी चार्जेज/टैक्स आदि सम्मिलित करें, विश्वविद्यालय अलग से किसी प्रकार के कर/सर्विस चार्जेज का भुगतान नहीं करेगा।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर
नाम व मुहर के साथ

खुली निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें

निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएँ भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
2. **"वास्तविक डीलरों (Bonafide dealers) द्वारा निविदाएँ" :–** निविदाएँ मालों एवं कार्य के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी, जिसका घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे।
3. (i) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

   (ii) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
4. निविदा प्ररूप स्याही से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
5. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियाँ (Errors) एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई अशुद्धि सुधार करना हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्रीकर एवं केन्द्रीय बिक्रीकरों की राशि को पृथक से दिखाना चाहिए।
6. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ,ओ,आर उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों कों शमिल करना चाहिए किसी गाडी भाडे या परिवहन प्रभारों का विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान नही किया जाएगा तथा माल सुपुर्दगी विश्वविद्यालय परिसर में दी जाएगी।
7. **मूल्य अधिमान :–** {मूल्य अधिमान/अधिमान, राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर
नाम व मुहर के साथ

पर भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमान) नियम, 1995 के अनुसार दिया जाएगा।

8. **विधिमान्यता :–** निविदायें, उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।

9. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों, विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

10. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।

11. **विनिर्देशः–** (i) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएँ निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहाँ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, वहाँ उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।

(ii) वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामले में, जहाँ कोई मानवीकृत या अनुमोदित नमूने न हों, वहाँ अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस सम्बन्ध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएँ विनिर्देशों के अनुरूप हैं, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार हैं, किया गया निर्णय अन्तिम एवं निविदादाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

(iii) **वारंटी/गारंटी खण्डः–** निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/वस्तएँ खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से छः माहों की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं/या उन्हे अनुमोदित कर दिया है, यदि छः माहों की उक्त अवधि में, उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (तथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/सामान/वस्तुएँ विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाय तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता

N

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर
नाम व मुहर के साथ

ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

12. **निरीक्षणः–** (i) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।

(ii) निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशॉप के परिसर का, जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ट हुए हैं, अपने बैंकर्स से एक परिचय–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

13. **नमूनेः–** अनुसूची में अंकित वस्तुओं की निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गयी निविदत्त वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे नमूने, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाएं तो कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद दी जाएगी या एक पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए।

14. प्रत्येक नमूने पर, उस पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गयी किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाऐंगे।

15. अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छह माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें परीक्षण, जाँच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट–फूट, हानि के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूनों को वापस लिया जाएगा। विश्वविद्यालय किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगा। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किए जाते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा समपहृत (Forefeit) कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

16. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इकट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उनमें परीक्षण, जाँच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट–फूट या हानि के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। जो नमूने वापस नहीं लिए जाएंगे उन्हें समपहृत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर
नाम व मुहर के साथ

17. प्रदाय जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहाँ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहाँ पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

18. **नमूने निकालना:–** परीक्षणों के मामले में, निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिए जाएंगे तथा उन्हे उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा। उनमें से एक सैट उन्हे दे दिया जाएगा, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।

19. **परीक्षण प्रभार:–** परीक्षण प्रभार विश्वविद्यालय द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परीणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

20. **रद्द करना:–** (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएँ अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हे रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

(ii) तथापि, यदि विश्वविद्यालय कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

21. रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके मद्दे उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

22. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट–फूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जाँच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगी।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर
नाम व मुहर के साथ

23. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

24. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

25. (i) **सुपुर्दगी अवधिः–** निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाए, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से 30 दिवस की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगाः–

क्र. सं.	मद	मात्रा	सुपुर्दगी अवधि
2	प्रायोगिक परीक्षा हेतु उत्तरपुस्तिकाएं	7,00,000	विश्वविद्यालय परिसर में दिनांक .... तक।

(ii) **मात्रा की सीमा–आदेश को फिर से देनाः–** यदि निविदा सूचना मे दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित प्रदाय करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Repeat Orders) भी निविदा में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकेंगे, परन्तु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक के प्रदाय के लिए ही होंगे तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अन्तिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी। यदि निविदादाता, ऐसा प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी शेष सामान के प्रदाय की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदादाता से वसूली की जाएगी। विश्वविद्यालय और निविदादाता की आपसी सहमति से एक वर्ष तक अनुमोदित दर व शर्तों पर अनुबन्ध की अवधि बढ़ायी जा सकती है।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

26. **बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी):– (क)** निविदा के साथ 84,000/रू. की बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि कुलसचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में भी जमा करायी जानी चाहिए:–

(i) शिड्यूल बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर
नाम व मुहर के साथ

(ख) बयाना राशि का प्रतिदायः– असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी निविदाओं के सम्बन्ध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिए बयाना/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

27. **बयाना राशि का समपहरणः–** बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगाः

(i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(ii) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(iii) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(iv) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

28. **(1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेपः–** (i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएँ स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

(ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होंगी।

2

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगेः–

(क) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति/बैंक गारन्टी।

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत् गिरवी (Pledge) रखा जाएगा।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर
नाम व मुहर के साथ

(ग) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

(v) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्ध कोई देय बकायायें (Outstanding Dues) नहीं हैं, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(3) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण : – प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :–

(क) जब संविदा क किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter foil) निःशुल्क दी जाएगी।

32. भुगतान : –

(i) किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(iii) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iv) उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर
नाम व मुहर के साथ

33. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकरी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) **परिसमापित नुकसानी :** – परिसमापित नुमसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने मे असफल रहा है :–

(1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2. 50%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए 5. 00%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए 7. 50%

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10.00%

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिना से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।

(3) स्वीकार की गयी परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10.00% होगी।

(4) यदि प्रदायकर्त्ता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत प्रदाय को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह प्रदाय आदेश दिया था। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जायेगा न कि प्रदाय को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।

(5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रक से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

34. **वसूलियां :–** परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्त्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्त्ता संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि (dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर
नाम व मुहर के साथ

35. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

36. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्रवाई कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

37. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्त्ता से अधिक को सामान की मदों को विपरीत करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

38. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–
   (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
   (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
   (iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेतीफोन नम्बर।
   (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी क रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

39. यदि संविदा क निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले का विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप–अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

40. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (विश्वविद्यालय या ठेकेदार) द्वारा सीकर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर
एस आर प्ररूप – 17

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर
नाम व मुहर के साथ

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर
नाम व मुहर के साथ

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर
नाम व मुहर के साथ